



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-26072023-247624
CG-UP-E-26072023-247624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945

No. 180]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

फा. सं. ई-11013/2/2019-हिंदी.—भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के संबंध में भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 01-07 जनवरी, 2022 को फा. सं. ई-11013/2/2019-हिंदी के अधीन प्रकाशित संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए गैर-सरकारी सदस्य के रूप में क्रम सं. 23 पर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामांकित सदस्य डॉ. विकास महात्मे, संसद सदस्य (राज्य सभा) के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनके स्थान पर श्री धनंजय भीमराव महादिक, संसद सदस्य (राज्य सभा) को एतद्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

2. इस समिति में श्री धनंजय भीमराव महादिक, संसद सदस्य (राज्य सभा) का कार्यकाल समिति के शेष कार्यकाल तक रहेगा।

3. दिनांक 28.12.2021 के समसंख्यक संकल्प में दी गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अग्रिम कौशल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**RESOLUTION**

New Delhi, the 20st July, 2023

No. E-11013/2/2019-Hindi.—Government of India, in partial amendment to the Resolution published in the Gazette of India, Part-I, Section-1 dated 01-07 January, 2022 vide No. E- 11013/2/2019-Hindi regarding reconstitution of the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, hereby accord its approval to nominate Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik, Member of Parliament (Rajya Sabha) as non-official member of the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Dr. Vikas Mahatme, Member of Parliament (Rajya Sabha), earlier nominated as a non-official member of the said Samiti by Ministry of Parliamentary Affairs, at serial number 23, consequent upon his retirement.

2. The tenure of Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik, Member of Parliament (Rajya Sabha) in this committee will be till the remaining term of the committee.
3. All other conditions given in the resolution of even number dated 28.12.2021 shall remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to Administrations of all States and UTs, All Ministries and Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Niti Ayog, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission, Union Public Service Commission and Parliament Library.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AGRIM KAUSHAL, Economic Advisor